



राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार
(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)
National Water Development Agency
Ministry of Jal Shakti, Government of India
(Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation)

nwda.gov.in



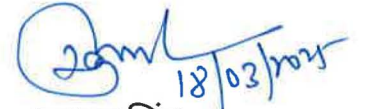
फाइल संख्या 8/3/2023-विग./ 2061-99

दिनांक: 18, मार्च, 2025

कार्यालय आदेश

जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण के पत्र संख्या सी-10/2/2001-वीआईजी (पीटी) दिनांक 07.03.2025 और सीवीसी के कार्यालय ज्ञापन संख्या 8टी-सीवीओ-77 दिनांक 28.02.2025 के अनुसरण में, श्री राहुल द्विवेदी, निदेशक (प्रशासन), राजविआ को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (राजविआ) में अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के रूप में नियुक्त किया जाता है।

यह सक्षम प्राधिकारी, राजविआ के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।


(खुशाल सिंह)

उप निदेशक (प्रशासन)

फोन: 011-26561046

प्रतिलिपि :

1. श्री अनिर्बान विश्वास, अवर सचिव, केन्द्रीय सतर्कता आयोग, सतर्कता भवन, ब्लॉक-ए, जीपीओ कॉम्प्लेक्स, आईएनए, नई दिल्ली-110023।
2. श्री प्रशांत मलिक, अवर सचिव (सतर्कता), जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, न.वि एवं गं.सं, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001। वास्तविक कार्यभार ग्रहण करने की तिथि और निर्धारित प्रो-फॉर्मा में मुख्य सतर्कता अधिकारी का विवरण बाद में दिया जाएगा।
3. वरिष्ठ निजी सचिव, महानिदेशक, रा.ज.वि.अ, साकेत/पालिका, नई दिल्ली।
4. निजी सचिव, मुख्य अभियंता (मु.), रा.ज.वि.अ, साकेत/पालिका भवन, नई दिल्ली।
5. मुख्य अभियंता (दक्षिण)/(उत्तर), रा.ज.वि.अ, हैदराबाद/लखनऊ।
6. निदेशक (तकनीकी)/(प्रशासन)/(वित्त)/(एमडीयू), रा.ज.वि.अ, साकेत/पालिका, नई दिल्ली।
7. श्री राहुल द्विवेदी, निदेशक (प्रशासन), रा.ज.वि.अ, नई दिल्ली। उनसे अनुरोध है कि वे अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के रूप में कार्यभार संभालने की रिपोर्ट प्रस्तुत करें और मामले में आगे की कार्रवाई के लिए संलग्न प्रो-फॉर्मा में अपना विवरण भेजें।
8. सभी अधीक्षण अभियंता, रा.ज.वि.अ।

जारी पृष्ठ.....2



9. अधीक्षण अभियंता- (उत्तर)/(दक्षिण), रा.ज.वि.अ, पालिका भवन , नई दिल्ली।
10. सभी अधिशासी अभियंता, जांच प्रभाग, रा.ज.वि.अ ।
11. अधिशासी अभियंता (मुख्यालय), रा.ज.वि.अ, नई दिल्ली।
12. सहायक निदेशक (राजभाषा), रा.ज.वि.अ, साकेत,नई दिल्ली ।
13. लेखा अधिकारी, रा.ज.वि.अ, साकेत,नई दिल्ली।
14. नोटिस बोर्ड, रा.ज.वि.अ, (साकेत / पालिका भवन), नई दिल्ली।